जाग उठा हमारा आजाद हिन्दुस्तान

28 नवम्बर 2023

मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश

संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी ,पाँच बूथ की व्हीव्हीपेट की पर्चियों से किया जायेगा ईव्हीएम के वोटों का मिलान

---प्रेक्षकों की मौजूदगी में होगा लॉटरी डालकर बूथों का चयन---

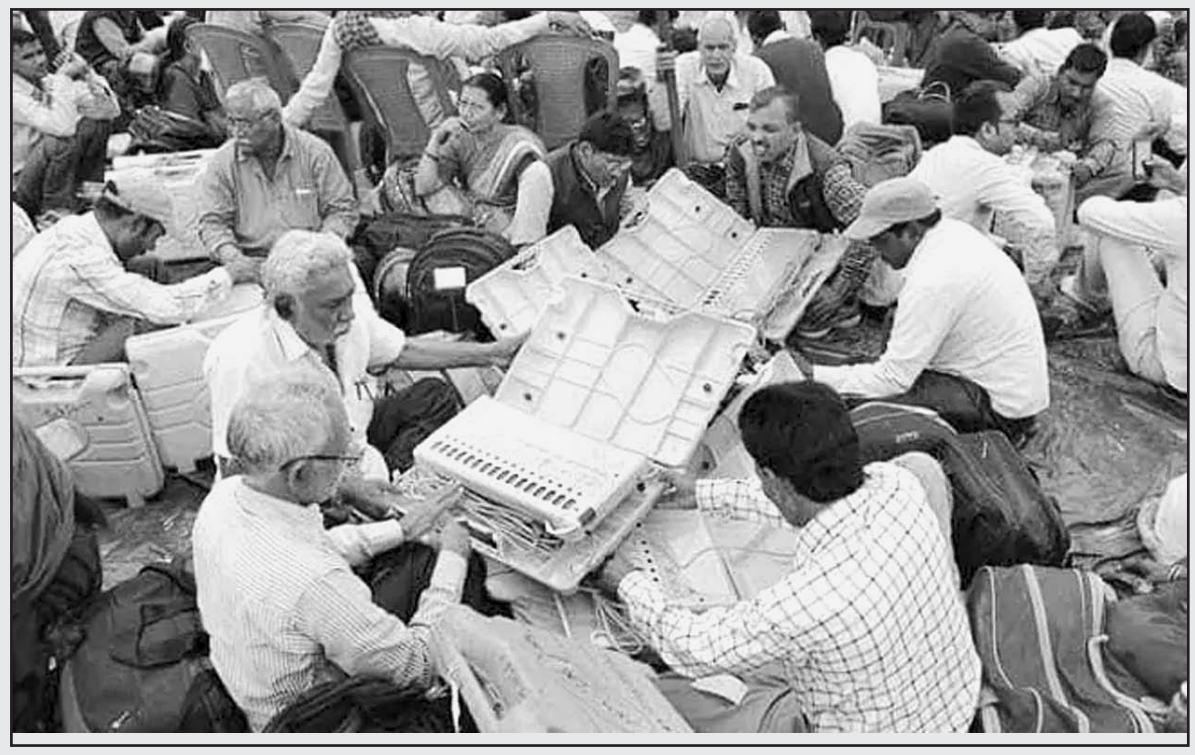

खरगोन-आशीष गुप्ता

विधानसभा चुनाव के तहत 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को आवश्यक बताया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के प्रत्येक चरण की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जायेगी। वीडियो कव्हरेज में गणना कर्मियों की रेण्डमाइजेशन की प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया, ईव्हीएम का स्ट्राँग रूम से मतगणना कक्ष में अंतरण, मतगणना कक्ष की व्यवस्थाएं, मतगणना केन्द्र पर सामान्य मतगणना की प्रक्रिया तथा रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर सामान्य सारणीकरण की प्रक्रिया, ईव्हीएम की दोबारा जांच की प्रक्रिया, मतगणना कक्ष एवं मतगणना केन्द्र के भीतर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति, परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया तथा मतगणना की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय होने वाली घटनाएं शामिल होंगी।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वीडियोग्राफी में तारीख एवं समय निर्दिष्ट होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वीडियो कैसेट भविष्य के संदर्भ हेतु सीलबंद कर रखी जानी होगी। आयोग ने मतगणना की समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए समुचित संख्या में वीडियो दलों को तैनात करने के निर्देश दिये हैं।

आयोग के अनुसार मतगणना हाल में कार्यालयीन रिकार्डिंग के अलावा पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी और प्रकार का कैमरा या वीडियोग्राफी वर्जित रहेगा। पत्रकारों या मीडिया को किसी प्रकार का कैमरा स्टैंड मतगणना हाल में लगाने की अनुमति नहीं होगी। भारत निर्वाचन द्वारा अधिकृत पास जिन्हें दिया जाएगा, केवल वही व्यक्ति हाथ का कैमरा रख सकेंगे। इसके अलावा वीडियो लेते समय किसी भी स्थिति में ईवीएम में वास्तविक मतों की फोटो कंधे या हाथ में लिए कैमरे द्वारा लेना वर्जित रहेगा। वह स्थान तक जहां कैमरा घूमता है, उस स्थान को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से बताया जाएगा। उसके द्वारा इस सीमा को निशान बनाकर या निर्देश के लिए रस्सी आदि से चिन्हित किया जाएगा। संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

पाँच बूथ की व्हीव्हीपेट की पर्चियों से किया जायेगा ईव्हीएम के वोटों का मिलान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पाँच मतदान केन्द्रों का लाटरी द्वारा चयन कर उस बूथ की ईव्हीएम के मतों की गणना का मिलान उसी बूथ की व्हीव्हीपेट मशीन की पर्चियों से किया जायेगा। लेकिन ऐसा उस विधानसभा क्षेत्र की अंतिम चक्र के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही किया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने अंतिम चक्र की गिनती पूरी होने के तत्काल बाद मतगणना हाल के अन्दर ही ईव्हीएम के वोटो का व्हीव्हीपेट की पर्चियों से सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने भी कहा है।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पाँच मतदान केन्द्र के ईव्हीएम पर दर्ज वोटो का व्हीव्हीपेट की पर्चियों से मिलान का यह कार्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक की देखरेख में तथा उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम चक्र की मतगणना समाप्त होने के बाद उस विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की संख्या के बराबर सफेद रंग के कागज पर पोस्ट कार्ड आकार की पर्चियां बनाई जायेंगी। इन पर्चियों पर काले अक्षरों से मतदान केन्द्रों का नम्बर लिखा होगा जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच होगा। मतदान केन्द्रों का नम्बर अंकित पर्चियों को चार तहों में इस तरह फोल्ड किया जायेगा ताकि मतदान केन्द्र का नम्बर दिखाई न दे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक चार तहों में फोल्ड की गई इन पर्चियों को एक कंटेनर में डालकर मिलाया जायेगा। इसके पहले पर्चियों को कंटेनर में डालकर उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा। कंटेनर में डाली गई मतदान केन्द्र नम्बर लिखी पर्चियों में से एक के बाद एक पाँच पर्चियों का रेण्डम आधार पर चयन आयोग के प्रेक्षक द्वारा उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ताओं की मौजूदगी में किया जायेगा।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक ईव्हीएम पर दर्ज वोटो का सत्यापन व्हीव्हीपेट की पर्चियों से करने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए पूर्व में सूचना देनी होगी। आयोग ने ईव्हीएम के वोटों का मिलान व्हीव्हीपेट की पर्चियों से कराने की व्यवस्था मतगणना हॉल में ही अलग से करने के निर्देश भी दिये हैं। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिलान हेतु व्हीव्हीपेट के ड्राप बाक्स से निकाली गई पर्चियों को पिजन होल ट्रे में अलग-अलग खाने में रखा जायेगा। प्रत्येक खाने पर ''नोटा'' सहित उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह अंकित होगा जिसके अनुसार ही पर्चियां रखी जायेंगी। सभी पर्चियां खानों में रखने के बाद 25-25 पर्चियों के बंडल बनाकर उनकी गिनती की जायेगी। व्हीव्हीपेट की स्लिप की गणना के पश्चात ईव्हीएम की कंट्रोल यूनिट से मिलान कर एक सत्यापन पत्रक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

मतगणना एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

विधानसभा चुनाव की मतगणना में जितनी मतगणना टेबल होगी उतने ही मतगणना एजेन्ट उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर मतगणना के अवलोकन के लिए भी एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति होगी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यत: अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा उम्मीदवार उस स्थान पर भी अपना गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जहां डाकमत पत्रों की गिनती की जायेगी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उस स्थान की, जहाँ मतों की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ होगी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके। मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। निर्वाचनों का संचालन 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम और पता होगा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामलों में एजेन्ट की फोटो सहित प्रारूप की दो प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट को दी जाएगी, जो वह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा।

मतगणना में कोई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्टों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार को ऐसे मतगणना एजेन्टों की फोटो सहित सूची रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिन पहले शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर सूची मिलने पर प्रत्येक एजेन्टों के लिए पहचान पत्र तैयार करवायेंगे।

रिटर्निंग ऑफिसर को यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हॉल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हॉल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्रों में मतदान एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अभ्यर्थी को सुरक्षा गार्ड के साथ गणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से सुरक्षा प्राप्त है, उम्मीदवारों का गणना एजेंट नहीं बन सकेगा। आयोग के मुताबिक किसी भी चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को उसके सुरक्षा गार्ड अथवा सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। आयोग के अनुसार सुरक्षा गार्ड प्राप्त उम्मीदवार से मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए अपनी मर्जी से सुरक्षा को समर्पण करने का सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने दिया जायेगा।

मतगणना दल को दिया गया मतगणना का प्रशिक्षण

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में आज शास कन्या उ मा विद्यालय खरगोन में मतगणना दल का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा मतगणना को लेकर हर एक बिंदु पर विस्?तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करने तथा किसी भी प्रकार की दुविधा या शंका होने पर तत्काल उसका समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतगणना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि गणना कर्मियों को सभी नियमों की अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए।

प्रशिक्षण में मतगणना दल के लिये की जाने वाली तैयारियां, मतगणना स्थल पर प्रवेश, सामग्री, बैठक व्यवस्था, मतगणना टेबल पर मतदान मशीनों का वितरण, मशीनों के नंबरों की जांच, मतदान यूनिट के बॉक्स के सीलों की जांच, कंट्रोल यूनिट पर लगी सीलों की जांच, रिजल्ट खण्ड से ऐड्रेस टेग व हरी पत्र मुद्रा को हटाना, पॉवर स्विच ऑन करना, रिजल्ट देखने के लिये रिजल्ट बटन को दबाना, परिणामों का प्रदर्शन, इस प्रकार मतगणना प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रिया को विस्तार से बताकर मशीनों को सील करने आदि के साथ पोस्टल बैलेट गणना को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सभी रिटर्निंग अधिकारी व गणनादल उपस्थित रहे।

हर चक्र में होगी रेण्डम आधार पर दो ईव्हीएम के मतों की गणना -प्रेक्षक करेंगे क्रॉस चेक

भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस विधानसभा चुनाव में मतों की गणना के प्रत्येक चक्र के अंत में दो मतदान केन्द्रों की ईव्हीएम मशीनों का रेण्डम आधार पर चयन करने तथा गिनती की पुन: जांच करने के निर्देश दिये हैं।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतगणना की विशुद्धता की जांच के लिए रेण्डम आधार पर दो ईव्हीएम का चयन कर दोबारा गिनती करने की यह कार्यवाही आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों द्वारा सम्पन्न कराई जायेगी। इस कार्य में प्रेक्षकों की सहायता हेतु रिजर्व पूल में रखे गये गणना सुपरवाईजरों एवं गणना सहायकों का चयन किया जायेगा। गणना सुपरवाईजरों और गणना सहायकों का यह चयन भी रेण्डम आधार पर होगा।

निर्वाचन आयोग ने रेण्डम आधार पर चयनित की गई ईव्हीएम मशीनों से मतों की गणना के लिए उसी मतगणना कक्ष में अलग से व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये हैं। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक उन्हें उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त मतगणना कर्मचारियों की सहायता से रेण्डम आधार पर की गई जांच में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की गिनती से संतुष्ट हो जाने के बाद ही उस चक्र की मतगणना परिणाम पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

आयोग के मुताबिक रेण्डम आधार पर चयनित ईव्हीएम मशीनों पर पडे मतों की दोबारा की गई जांच में यदि किसी गणना कर्मी को गलत नोट करते पाया जाता है तो उसे तुरंत गणना कार्य से हटा दिया जायेगा तथा दूसरे गणना कर्मी को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा। गलती करने वाले कर्मचारी पर बाद में उसकी भूल-चूक के लिए गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ईव्हीएम के कंट्रोल यूनिट का डिस्पले पैनल देख सकेंगे उम्मीदवार एजेंट

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के लिए 3 दिसम्बर को होने वाली मतगणना के दौरान ईव्हीएम के कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाते समय प्रत्याशियों के एजेंट को डिस्पले पैनल दिखाया जायेगा।

मतगणना सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि एजेंटों को डिस्पले पैनल दिखाया जाए ताकि वे प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए वोट की गिनती कर सकें, जो कंट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर प्रदर्शित होंगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता होने पर मतगणना सहायक को कंट्रोल यूनिट को इस प्रकार उठाकर रखना होगा कि डिस्पले पैनल न सिर्फ मतगणना का सुपरवाइजर बल्कि मतगणना टेबिल पर बैठे दूसरे मतगणना सहायक, माइक्रो आब्जर्वर और जाली की दूसरी ओर बैठे प्रत्याशी के एजेंट को भी दिखाई दे। यदि कोई एजेंट ईवीएम पर एक बार से अधिक रिजल्ट देखने की इच्छा व्यक्त करता है तो मतगणना सुपरवाइजर को उसके संतोष के लिए फिर से रिजल्ट दिखाना होगा।

आयोग ने यह निर्देश भी दिए हैं कि जब प्रत्येक मतदान की टेब्ल्युलेशन शीट (फार्म 17 सी) रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर आ जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर टेबिल पर बैठे प्रत्याशी, उसके एजेंट, मतगणना एजेंट को प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रत्येक प्रत्याशी को रिजल्ट को नोट करने दें।

डाक मतपत्रों की गिनती से होगी मतगणना की शुरुआत.....

आधा घंटे बाद शुरू की जा सकेगी ईव्हीएम के मतों की गणना

विधानसभा चुनाव के तहत 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की शुरूआत डाकमत पत्रों की गणना से विधानसभा चुनाव के तहत होगी। लेकिन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में डले मतों की गणना शुरू करने के लिए डाकमत पत्रों की गणना खत्म होने का इंतजार नहीं किया जायेगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईव्हीएम के मतों की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जा सकेगा।

भारत निर्वाचन आयोग डाकमत पत्रों की गणना के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायकों को नियुक्त करने की मंजूरी भी प्रदान की है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना राउण्डवार सम्पन्न होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक प्रत्येक दौर में मतगणना की रेण्डम जांच करेंगे। इसके अलावा आयोग के रिकार्ड के लिए मतगणना कक्षों की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जायेगी। मतगणना के पूर्व गणना पर्यवेक्षक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के केयरिंग केश के नंबर तथा मशीन पर अंकित नंबर का मिलान करेंगे और मशीन अभ्यर्थी के एजेंट को भी दिखायेंगे। साथ ही ईव्हीएम में लगी सील भी अभ्यर्थियों के एजेन्ट्स को दिखाई जायेगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर डाले गये कुल मतों की संख्या ज्ञात की जायेगी। इसका मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा मतलेखा में दर्ज मों की संख्या से किया जायेगा। मिलान नहीं होने पर जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी। इस स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी के आदेश के बाद ही आगे की मतगणना होगी।

संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रेक्षक के काउन्टर सिग्नेचर के बाद ही रिटर्निंग अधिकारी राउण्डवार परिणामों की घोषणा करेंगे।

निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंट

भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी निर्वाचन में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर वाले किसी व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है।

वैध मतों का छठा हिस्सा नहीं मिलने पर होगी जमानत राशि जब्त

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे वे सभी उम्मीदवार अपनी निक्षेप राशि या सुरक्षा निधि गंवा बैठेंगे जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये वैध मतों के छठवें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे।

आयोग के निर्देशों के मुताबिक कुल वैध मतों के 16.66 प्रतिशत अथवा छठवें हिस्से से कम या बराबर मत मिलने पर उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि जब्त कर ली जायेगी। इस राशि को उसे वापस नहीं किया जायेगा। आम बोलचाल की भाषा में इसे जमानत जब्त हो जाना कहते हैं।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव लडने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10 हजार रूपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को 5 हजार रूपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा करानी होती है। व्यवस्था यह है कि उम्मीदवार यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में पडे कुल वैध मतों का 16.66 प्रतिशत हिस्सा (छठवां हिस्सा) भी हासिल न कर सके तो फिर उसके लिए अपनी यह जमानत राशि बचाना मुमकिन नहीं रह जाता।

निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि 'नोटा' विकल्प के सामने डाले गये मतों को जमानत राशि लौटाने के प्रयोजनार्थ चुनाव लड रहे उम्मीदवारों को प्राप्त कुल वैध मतों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।